रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 368] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904

No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

का॰आ॰ 600 (अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/82 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं॰ 506 (ई)/18 एफ बी/आई डी आर ए/78, दिनांक 18 अगस्त, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उद्योग विकास और (विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 एफ बी की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखत का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि॰, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि 17 अगस्त, 1982 जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि आगामी 12 अप्रैल, 1983 तक के लिए बढ़ा देनी चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 एफ बी की उपधारा (2) के साथ पठित उसकी उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा॰ सं॰ 3(3)/80-सी यू एम]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th August, 1982

S.O. 600(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 506(E)/18FB/IDRA/78, dated the 18th August, 1978 (hereinafter referred

to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings, known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of 17th August, 1982 ;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of said Order should be extended for a further period upto 12th April, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th April, 1983.

[File No 3(3)/80 CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982